

**न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 161/2019

दायर दिनांक 13.08.2019

**वादी**

1. दोलाराम पुत्र आसुराम उम्र 48 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी सिंगरावट कलां, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

**बनाम्****प्रतिवादीगण**

1. बोदूराम पुत्र गणेशाराम
2. रामुराम पुत्र गणेशाराम (फौत)
- 2/1 निरू पुत्री स्व० रामूराम उम्र 35 वर्ष
- 2/2 सोनू पुत्री स्व० रामूराम उम्र 32 वर्ष
- 2/3 रविन्द्र पुत्र स्व० रामूराम उम्र 30 वर्ष
- 2/4 प्रेमलता पत्नि स्व० रामूराम उम्र 55 वर्ष
3. गीता देवी पुत्री आसुराम समस्त जाति जांगिड़ निवासी सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
4. तहसीलदार डीडवाना।

**दावा बाबत्**

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

**उपस्थित:-**

1. श्री अशोक भाकर वकील, वादी।

**--: निर्णय :-**

दिनांक 14.05.2022

वादी का खातेदारी वाके सरहद सिंगरावट कलां के खेत खसरा सं० 95 रकबा 08.03 बीघा, खसरा सं० 99 रकबा 08.06 बीघा, खसरा सं० 196 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं० 217 रकबा 06.00 बीघा, खसरा सं० 477/242 रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं० 478/282 रकबा 02.00 बीघा कुल रकबा 26.05 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 13.09.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)




-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद सिंगरावट कलां के खेत खसरा सं० 95 रकबा 08.03 बीघा, खसरा सं० 99 रकबा 08.06 बीघा, खसरा सं० 196 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं० 217 रकबा 06.00 बीघा, खसरा सं० 477/242 रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं० 478/282 रकबा 02.00 बीघा कुल रकबा 26.05 बीघा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
 (कार्तिकेय मीणा)  
 सहायक कलेक्टर  
 R.A.S.  
 डीडवाना (निर्वाह)  
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
 (कार्तिकेय मीणा)  
 सहायक कलेक्टर  
 R.A.S.  
 डीडवाना (निर्वाह)  
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 161/2019

दायर दिनांक 13.08.2019

वादी

प्रतिवादीगण

1. दोलाराम पुत्र आसुराम उम्र  
48 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी  
सिंगरावट कलां,  
तहसील-डीडवाना,  
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

1. बोदूराम पुत्र गणेशाराम
2. रामुराम पुत्र गणेशाराम (फोट)
- 2/1 निरु पुत्री स्व० रामूराम उम्र 35 वर्ष
- 2/2 सोनू पुत्री स्व० रामूराम उम्र 32 वर्ष
- 2/3 रविन्द्र पुत्र स्व० रामूराम उम्र 30 वर्ष
- 2/4 प्रेमलता पत्नि स्व० रामूराम उम्र 55 वर्ष
3. गीता देवी पुत्री आसुराम समस्त जाति जांगिड़  
निवासी सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना  
जिला नागौर राज०।
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी  
मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक भाकर वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद सिंगरावट कलां के  
खेत खसरा सं० 95 रकबा 08.03 बीघा, खसरा सं० 99 रकबा 08.06 बीघा, खसरा सं०  
196 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं० 217 रकबा 06.00 बीघा, खसरा सं० 477/242  
रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं० 478/282 रकबा 02.00 बीघा कुल रकबा 26.05 बीघा  
भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,  
तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 में  
वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता  
है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 973 दिनांक 18.12.2021 निर्णय एवं  
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा  
करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय  
लोक अदालत में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
(नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये  
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
(नागौर)